संख्याः 1878/XXIV-3/10/02(36)2010

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनांकः 04 जनवरी, 2011

विषयः वित्तीय वर्ष 2010–11 में माध्यमिक शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रथम अनुपूरक अनुदानों की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः 542/XXVII(1)/2010; दिनांकः 04 अक्टूबर, 2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में माध्यमिक शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदान संख्याः 11,30 एवं 31 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित रू0 66,37,16,000.00 एवं आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 1,70,92,03,000.00 इस प्रकार कुल रू0 2,37,29,19,000.00 (रूपये दो अरब सैंतीस करोड़ उन्तीस लाख उन्नीस हजार मात्र) की धनराशि को इस प्रतिबन्ध के साथ आपके निर्वतन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है कि आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा सरकारी सेवकों एवं गैर सरकारी सेवकों हेतु बचनबद्व मदों में यथा वेतन, मंहगाई भत्ता, अन्य भत्ते, विद्युत देय, जलकर/जलप्रभार, टेलीफोन पर व्यय, किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, व मंहगाई वेतन आदि आवश्यक मदों पर ही नियमानुसार व्यय किया जायेगा। उक्त मदों से भिन्न मदों की स्वीकृतियों के प्रस्ताव पूर्ण औचित्य सहित शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे।

2. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही नियोजन विभाग द्वारा आवंटित परिव्यय की सीमा तक किये जाने का दायित्व आपका होगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग चालू वर्ष की नई मदों के क्रियान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/शासनादेशों के तहत निम्नलिखित शर्तो के अधीन किया जायेगा :

1. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
2. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैन्युवल के

नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

3. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय कदापि न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।
4. आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय।
5. मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।
6. व्यय संबंधी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।
7. स्वीकृत धनराशि को जिलावार फॉट संबंधित जिलों एवं शासन को तीन दिन के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
8. वित्तीय वर्ष 2010–11 में इसके पूर्ववर्ती वर्षो के एरियर भुगतान आदि कोई हो, के विवरण की सूचना अलग से रखी जाय।
9. अप्रैल,2010 से नये पदो के भरे जाने के फलस्वरूप होने वाले व्यय के सापेक्ष श्रेणीवार पदों (''क'' ''ख'' ''ग'' ''घ'') की सूचना रखी जाय।
10. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैन्युवल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
11. निर्माण पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की टैक्निकल स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यो की लक्ष्य के अनुसार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा/अनुश्रवण अनिवार्य रूप से किया जाय।
12. किसी अनुदान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि का बगैर शासन की सहमति के किसी भी प्रकार से पुनर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।
13. बजट मैन्युवल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जानी वाली सूचना समय से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
14. वाह्य सहायतित परियोजनाओं, अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए ट्राइबल सबप्लान के अन्तर्गत आवंटित परिव्यय के सापेक्ष बजट प्राविधान को अन्य योजना हेतु व्यावर्तित न किया जाय।
15. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) वित्तीय नियम संग्रह पांच भाग–1 (लेखा नियम) आय–व्ययक संबंधी नियम (बजट मैन्युवल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों आदि का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों द्वारा प्राविधानित धनराशि को अनुदान संख्या–11, 30 एवं 31 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा 02–माध्यमिक शिक्षा एवं 4202– शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 01–सामान्य शिक्षा के अधीन संलग्नक में उल्लिखित संबंधित ब्यौरेवार शीर्षक सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा.

अपर

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 796(P)/XXVII(3)/2010 दिनाँकः 31 दिसम्बर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा हैं।

भवदीया

(मनीषा पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः **1878/XXIV-3/10/02(36)2010** तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. निजी सचिव, सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
6. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढवाल मण्डल, पौड़ी।
7. मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक कुमायूँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
8. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
9. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
12. वित्त विभाग/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
13. कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग) उत्तराखण्ड शासन।
14. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
15. शिक्षा अनुभाग 2,4, एवं 5 उत्तराखण्ड शासन।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0पी0तिवारी)
अनुसचिव।